# न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व मु0 नं0 111/2013

1. लाडू पुत्र रोड़ा आयु 55 वर्ष जाति – रावत निवासी – हनुतिया, धोबिया का बाडिया तहसील हाल – बिजयनगर जिला – अजमेर राज0। —— **वादी**

बनाम

1. श्री हीरा वल्द बरदा आयु लगभग 35 वर्ष जाति – रावत निवासी – हनुतिया, धोबिया का बाडिया तहसील हाल – बिजयनगर जिला – अजमेर राज0। —— **प्रतिवादी**
2. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:– निर्णय :– दिनांक 11.05.2016

वदी ने अपने वाद–पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा हनुतिया तहसील – बिजयनगर स्थित आराजी खसरा न0 1136 रकबा 01–09–00 व 1113 रकबा 05–01–00, खसरा न0 1136 रकबा 02–13–10 तथा 1213 रकबा 01–03–00 कुल किता – 4 रकबा 10–06–10 वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। जिनका मौके पर अपने पूर्वजों के समय से ही आपसी बटवांरा किया जाकर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। लेकिन वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य आमद रफत को लेकर विवाद है अतः पक्षकारान के मध्य बटवांरा कराया जाये।

प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी सं0 2 ने निवेदन किया है कि विवादित भूमियां खसरा न0 1112, 1113, 1136 व 1213 कुल किता – 4 रकबा 10–06–10 राजस्व रिकार्ड अनुसार हीरा वल्द बरदा व लाडू वल्द रोड़ा की खातेदारी में दर्ज है।

आज मेघा लोक अदालत मुकाम – हनुतिया पर हीरा वल्द बरदा व लाडू वल्द रोड़ा उपस्थित हुए और उन्होंने हनुतिया की जमाबंदी सं0 2069–72 के खाता सं0 858 खसरा न0 1112 रकबा 01–09–00 व 1113 रकबा 05–01–00 तथा 1136 रकबा 02–13–10 व 1213 रकबा 01–03–00 कुल किता – 4 रकबा 10–06–10 जिसमें हीरा वल्द बरदा व लाडू वल्द रोड़ा कौम रावत दर्ज है। जिसमें हीरा का हिस्सा एस0बी0आई0 – बिजयनगर के मुर्तहीन से दर्ज है। इनका बटवांरा करवाने का निवेदन किया। पक्षकार को सुना गया। पटवारी हल्का उभय पक्षान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करवाये गये।। यथा प्रस्ताव वादी लाडू वल्द रोड़ा के हिस्से मौजा हनुतिया स्थित आराजी खसरा सं0 1112/1 रकबा 00–14–10 बा0 2 व 1113/1 रकबा 02–10–10 बा0 2 व 1136/1 रकबा 01–06–15 बा0 2 तथा 1213/1 रकबा 00–11–10 बा0 3 कुल किता – 4 रकबा 05–03–05 रखी जाती है तथा प्रतिवादी हीरा वल्द बरदा दाहिन एस0बी0आई0 – बिजयनगर के हिस्से खसरा न0 1112/2 रकबा 00–14–10 वा0 2 व 1113/2 रकबा 02–10–10 व0 2 व 1136/2 रकबा 01–06–15 वा0 2 तथा 1213/2 रकबा 00–11–10 वा0 3 कुल किता – 4 रकबा 05–03–05 रखी गई है तथा लगान वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 पर क्रमशः रूपये 7.03 व 7.03 रखे गये हैं। इस बटवांरा प्रस्ताव से उभय पक्ष सहमत हुए। अतः यथानुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की जाती है। तहसीलदार मसूदा पर डिक्री जारी होकर राजस्व अभिलेख में अमल करवाया जावें।

निर्णय दिनांक 11.05.2016 को मेघा लोक अदालत मुकाम हनुतिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.24 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested